

**वन विभाग, हरियाणा सरकार,
कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा,**

सी-18, वन भवन, सैक्टर 6, पंचकुला, दूरभाष/फैक्स +91 172 2563988, 2563861, E-mail: cffcpanchkula@gmail.com

क्रमांक : प्रशा-डी-तीन-10190/३३१६
सेवा में

दिनांक : 05/02/2025

अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
पर्यावरण, वन तथा वन्य प्राणी विभाग,
चण्डीगढ़।

विषय: Diversion of 0.0144 ha. of forest land for access to M/S Damaira Pharmaceuticals Pvt. along Panchkula-Naraingarh Road, L/Side at Village Haripur Tehsil Ranipur Rani, under forest division Morni-Pinjore and district Panchkula, Haryana.

Online Proposal No. FP/HR/Approach/141354/2021

संदर्भ : आपका पत्र क्रमांक 9-HRB068/2022-CHA दिनांक 26.09.2022 ।

उपरोक्त विषय पर संदर्भांकित पत्र द्वारा जारी स्टेज-1 स्वीकृति की अनुपालना रिपोर्ट मदवाईज निम्नप्रकार से आपको भेजी जाती है :-

- 1-5. प्रस्ताव में संशोधित सी0ए0 स्कीम के अनुसार प्रयोक्ता एजैन्सी ने प्रतिपूर्ति पौधारोपण, नैट प्रैजैन्ट वैल्यु आफ फौरेस्ट लैण्ड, पैनल स्कीम (प्रति संलग्न) व अन्य चार्जिज सहित कुल 232255/- रुपये की राशि केम्पा के लेखा में जमा करवा दी है। ऑनलाईन पोर्टल अनुसार राशि का स्टेटस "Paid" होने उपरान्त प्रयोक्ता एजैन्सी द्वारा अपेक्षित ऑनलाईन कार्यवाही पूर्ण कर दी गई है।
6. एफ0आर0ए0 प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न है।

इसके अतिरिक्त स्टेज-1 स्वीकृत के मद संख्या 2(B) की शर्तों अनुसार प्रयोक्ता एजैन्सी द्वारा प्रस्तुत अण्डरटेकिंग की प्रति संलग्न है तथा ऑनलाईन पोर्टल पर भी अपलोड कर दी गई है।

कृपया प्रस्ताव में स्टेज-1 स्वीकृति करवाने बारे आगामी कार्यवाही करने का कष्ट करें ।
संलग्न/उपरोक्त ।

अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक(एफ0सी0ए0)
हरियाणा, पंचकुला ।

05/2/25

4/2/25 4/2/25

CFMS:- FRT05022025-805

Undertaking

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी।
2. प्रस्ताव के अनुसार कम से कम वृक्ष/पौधों काटे जायेंगे और वृक्षों की कटाई के दौरान वन्यजीवों को न्यूनतम नुकसान पहुंचाया जाएगा। प्रस्ताव में काटे जाने वाले वृक्षों की संख्या 10 और पौधों की संख्या 07 से अधिक नहीं होगी।
3. सीए योजना के अनुसार, 100 पौधे लगाकर, 0.10 हेक्टेयर (C-37 Babadwali beat, Meerpur block, Raipur Rani range) वन भूमि पर सीए किया जाएगा और धन उपयोक्ता एजेंसी द्वारा उपयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रदान किया जाएगा। अनुमोदन जारी होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर वृक्षारोपण किया जाएगा।
4. एसीए योजना के अनुसार, 14 पौधे लगाकर, 0.014 हेक्टेयर (C-37 Babadwali beat, Meerpur block, Raipur Rani range) वन भूमि पर एसीए किया जाएगा और धन उपयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रदान किया जाएगा। अनुमोदन जारी होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर वृक्षारोपण किया जाएगा।
5. राज्य सरकार वन भूमि को प्रयोक्ता एजेंसी को सौंपने से पहले FSI के ई-ग्रीन वॉच पोर्टल में प्रतिपूरक वनरोपण के लिए स्वीकृत degraded वन क्षेत्र की KML Files को अपलोड करेगी।
6. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिये नहीं किया जायेगा।
7. जब कभी भी NPV की राशि बढ़ाई जायेगी तो उस बढ़ी हुई NPV की राशि को जमा करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी बाध्य होगी।
8. इस प्रस्ताव को 45 वर्षों के लिए अनुमति प्रदान की जायेगी, इसके उपरान्त पुनः यह अनुमति भारत सरकार से प्राप्त करनी होगी।
9. साथ लगते वन और वनभूमि को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जायेगा और साथ लगते हुए वन और वनभूमि को बचाने के लिये सभी प्रयत्न किये जायेंगे।
10. स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वनभूमि को केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेंसी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा।
11. केंद्रीय सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव की लेआउट प्लान को बदला नहीं जायेगा।
12. कूड़ा कर्कट निपटानन जारी योजना के अनुसार किया जायेगा।
13. अन्य कोई भी शर्त इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास हेतु समय – समय पर लगाई जा सकती है।
14. यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता एजेंसी पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम 1986, के अनुसार पर्यावरण अनुमति प्राप्त करेगी।
15. इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के Handbook of Forest (Conservation) Act, 1980 and Forest Conservation Rules, 2003 (Guidelines & Clarifications), 2019 में उल्लेखित दिशानिर्देश 1.21 के अनुसार कार्यवाई की जायेगी।
16. यदि कोई अन्य सम्बंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी।

V. Samsal



COMPLIANCE OF SCHEDULED TRIBES AND OTHERS TRADITIONAL FOREST DWELLERS (RECOGNITION OF FOREST RIGHT) ACT 2006

(CERTIFICATE TO BE GIVEN BY THE CONCERNED DEPUTY COLLECTOR)
TITLE OF THE CASE/PROJECT:

Diversion of 0.0144 Ha. of Forest Land for approach road M/s Damaira Pharmaceuticals Pvt. Ltd. Along Panchkula-Naraingarh road, 1/sid at village Haripur, Tehsil Raipur Rani, Distt.-Panchkula.(FP/HR/Approach/141354/2021)

It is certified that the forest land proposed to be diverted is plantation which was notified as "forest" less than 75 year to the 13th day of December 2005 and is located in village having no recorded population of Scheduled Tribes, as per the Census 2001 and the Census 2011.

Bhupender Singh Raghav, H.F.S.
Divisional Forest Officer
Morni - Pinjore Forest Division
Pinjore [Panchkula]

Signature
Full Name and official seal of
Deputy Commissioner,
District Commissioner,
Panchkula.

19/1/2022



बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra
एक परियार एक बैंक

Statement for Account No 60362696097 from 01/04/2022 to 31/03/2023.

Date	Type	Particulars	Cheque/Refer ence No	Debit	Credit	Balance	Channel
20/01/2023	Cheque	RTGS MAHBR52023012013670278 SUN DEEP SCIENTIFIC I	83930	15,80,206.00		49,654.99	384- CHANDIGARH
20/01/2023	Charges	NA		50.00		49,604.99	
20/01/2023	Charges	GST		9.00		49,595.99	
20/01/2023	Cheque	NEFT MAHBH23020468455 MIRACLE INDUSTRIES	83931	41,500.00		8,095.99	384- CHANDIGARH
20/01/2023	Charges	NA		5.00		8,090.99	
20/01/2023	Charges	GST		0.90		8,090.09	
09/02/2023		ACH AAHCD8720E-AY20 CE23209680234			1,34,530.00	1,42,620.09	1001-MUMBAI SERVICE BRANCH
13/02/2023	RTGS	RTGS KKBKR52023021300638522 MEDICOS	KKBKR5202302 1300638522		2,50,000.00	3,92,620.09	
13/02/2023	Cheque	RTGS MAHBR52023021313820070 DAMAIRA PHARMACEUTICA	83933	2,32,255.00		1,60,365.09	384- CHANDIGARH
13/02/2023	Charges	NA		25.00		1,60,340.09	
13/02/2023	Charges	GST		4.50		1,60,335.59	
22/02/2023	RTGS	RTGS DATED 13/2/23 FRM	DATED		2,32,255.00	3,92,590.59	
22/02/2023	Cheque	RTGS MAHBR52023022213890615 HARYANA CAMPA	83934	2,32,255.00		1,60,335.59	384- CHANDIGARH
22/02/2023	Charges	NA		25.00		1,60,310.59	
22/02/2023	Charges	GST		4.50		1,60,306.09	
23/02/2023	NEFT	NEFT CMS0542344031689 KMBL RPC DE MAHB230542421104	CMS054234403 1689		89,685.59	2,49,991.68	
23/02/2023	RTGS	RTGS MAHBR52023022313899018 Radhika Enterprises	MAHBR5202302 2313899018	2,25,000.00		24,991.68	Internet Banking